न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 49/20

GCMS NO2020/00075

1. रामसहाय पुत्र परभाती जाति जोगी निवारी टोकरी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर(मृतक)
   1/1. मोहरवाई बेवा रामसहाय जोगी निवारी टोकरी
   1/2. राजाराज
   1/3. रत्तीराम
   1/4. बलराम पिसरान रामसहाय जातियान जोगी निवासीयान टोकसी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
   1/5. माया पुत्री रामसहाय पत्नि सियाराम जाति जोगी निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली
   1/6. बतासी पुत्री रामसहाय पत्नि जगदीश जाति जोगी निवासी ग्राम बाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली
2. रामदयाल पुत्र परभाती जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
   2/1. हरपति बेवा रामदयाल निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
   2/2. गौरन्ती पुत्री रामदयाल पत्नि जगराम निवासी खिरकिडी तहसील टोडाभीम
   2/3. पवन पुत्र रामदयाल
   2/4. रूपसिह पुत्र रामदयाल जातिया जोगी निवासीयान ग्राम टोकसी तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

कलुआ पुत्र श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी टोकसी (मृतक)

1. सियाराम पुत्र कलुआ
2. रामधन पुत्र कलुआ जातियान कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. किस्तुरी पुत्री कलुआ जाति कुम्हार निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा
4. छोटी पुत्री कलुआ जाति कुम्हार निवासी नयागांव तहसील सपोटरा
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 164/06 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.2.20 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम
अभिभाषक रैस्पो0 श्री बृजनन्दन दीक्षित

दिनांक 18.02.2025

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 2[illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 10.2.20 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में मृतक वादी कलुआ द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी ,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई [illegible]धाज्ञा इस आशय का पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0न0 716/5 रकवा 2 बीघा ग्राम टोकसी मे स्थित रही है। जिसके भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 1821 रकवा 35 ऐयर कायम किये है। मौके पर वादी का 2 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध के दौरान वादी का 2 बीघा का रकबा कम करके मात्र ख0न0 1821 रकबा 0.35 है0 कायम किया है जो साबिक के मुकावले 15 ऐयर कम है। इसी प्रकार भू प्रबंध कर्मचारियो ने वर्तमान ख0न0 1821 मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत रूप से शामिल करते हुए उनके हक मे 1/3 हिस्से का गलत इन्द्राज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की आराजी से कोई वास्ता नही रहा है। भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक रिकार्ड अनुसार वादी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड तैयार नही किया है। वादी का रकबा साबिक अनुसार 50 ऐयर कायम करना चाहिए था। परन्तु मात्र 35 ऐयर दर्ज किया है उसमे भी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 व 2 का दर्ज दिया जो पूर्णतया गलत है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 व 2 का नाम गलत इन्द्राज होने के कारण वे इसका अवैधानिक व अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है तथा अन्य दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा है। दिनांक 23.8.06 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादी को धमकी दी गई किं उनके नाम दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करेगे । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की आधिपत्य की भूमि साबिक ख0न0 716/5 रकबा 2 बीघा एवं वर्तमान ख0न0 1821 स्थित ग्राम टोकसी काबिज 50 ऐयर के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। वादी की आराजी साबिक ख0न0 716/5 ग्राम टोकसी की वर्तमान जमाबंदी मे से प्रतिवादी न0 1 व 2 का नाम हजफ कर वर्तमान ख0न0 1821 रकबा 35 ऐयर के स्थान पर 50 ऐयर घोषणा कर दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से मृतक वादी/कलुआ द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी मृतक रामसहायक के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की खातेदारी की भूमि का जो 15 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है उसे भू प्रबंध विभाग द्वारा रास्ते के रूप मे दर्ज किया गया है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है तथा कुछ रकबा हाल ख0न0 1816/1 मे दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा उन व्यक्ति[illegible] विरूद्ध दावा प्रस्तुत नही किया है जिनमे नाम वादी का रकबा लगाया गया है। प्रतिवादीगण [illegible] के विरूद्ध गलत दावा पेश किया गया है। जबकि अपीलांट के साबिक ख0न0 716/5 का रकबा ख0न0 1821 मे दर्ज कर दिया है इसलिए इसमे अपीलांट का हिस्सा दर्ज कर दिया गया है तथा साबिक की भॉति ही पुरानी डोल मेड बनी हुई है । अपीलांट का कब्जा साबिक की भॉति चला आ रहा है। वादी का ख0न0 1821 पर कब्जा नही है। ख0न0 1821 मे दर्ज प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्से मे वादी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नही है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि साविक ख0न0 716/3 है जिसका रकबा 4 बीघा का था जबकि अपीलांट के नाम वर्तमान सेटलमेंट मे अपीलांट के नाम ख0न0 1814 रकबा 0.51 है0 एवं ख0न0 1821 रकवा 0.35 है0 मे से हिस्सा 1/3 दर्ज होकर आया है। साबिक की तुलना मे अपीलांट का 38 ऐयर रकवा कम दर्ज होकर आया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को रेस्पो0 के हक मे सही रूप से निर्णित की है। जिसमे अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। तनकी संख्या 2 अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के पक्ष मे गलत रूप से निर्णित की है जबकि अपीलार्थीगण का साविक ख0न0 716/3 रकवा 4 वीघा था। जिसके हाल ख0न0 1814 रकबा 0.51 है0 व 1821 रकवा 0.35 है0 मे से 1/3 हिस्सा यानि करीव 11 ऐयर रकबा इस प्रकार कुल 62 ऐयर रकबा कम दर्ज होकर आया है। इस प्रकार तनकी संख्या गलत रूप से रेस्पो0 के हक मे निर्णित की गई है। जबकि ख0न0 1821 के 0.11 है0 रकवे पर आज भी अपीलार्थीगण का कब्जा है जो मौका रिपोर्ट अदालत के आदेश से दिखवाई गई थी उक्त मौका रिपोर्ट मे भी 1821 के 11 ऐयर भू भाग पर अपीलार्थी का कब्जा बताया है। तनकी संख्या 4 को भी रेस्पो0 के हक मे निर्णित कर बिना कब्जे के रेस्पो0 के हक मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे भूल की है। तनकी संख्या 5 भी गलत रूप से निर्णित की गई है। इस प्रकार दावा रेस्पो0 गलत रूप से निर्णित किया गया है। अपीलांट के रकबे को सेटलमेंट द्वारा कम किये जाने के बाबत अधिनस्थ न्यायालय मे दावा रामदयाल बनाम सरकार विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि भूमि साबिक ख0न0 716/5 रकबा 2 बीघा ग्राम टोकसी मे स्थित रही है। जो वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसके भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 1821 रकबा 35 ऐयर कायम किये है। मौके पर रेस्पो0 /वादी का 2 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध के दौरान रेस्पो/वादी का 2 बीघा का रकबा कम करके मात्र ख0न0 1821 रकबा 0.35 है0 कायम किया है जो साबिक के मुकाबले 15 ऐयर कम है। इसी प्रकार भू प्रबंध कर्मचारियो ने वर्तमान ख0न0 1821 मे अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत रूप से शामिल करते हुए उनके हक मे 1/3 हिस्से का गलत इन्द्राज कर दिया जबकि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का रेस्पो/वादी की आराजी से कोई वास्ता नही रहा है। भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक रिकार्ड अनुसार रेस्पो/वादी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड तैयार नही किया है। रेस्पो/वादी का रकबा साबिक अनुसार 50 ऐयर कायम करना चाहिए था। परन्तु मात्र 35 ऐयर दर्ज किया है उसमे भी 1/3 हिस्सा अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 व 2 का दर्ज दिया जो पूर्णतया गलत है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य होने के कारण एवं सेटलमेंट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकार वादी/रेस्पो0 को होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विधि के प्रावधानो के अनुसार ही तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही अधिनस्थ निर्णय व डिकी पारित की गई है। वादी का रकबा 15 ऐयर कम होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:46:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अभिभाषको की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो० द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक ख0न0 716/5 रकबा 2 बीघा के सेटलमेट के दौरान नवीन ख0न0 1812 कायम कर रकबा 35 ऐयर कायम किये गये। जबकि 2 बीघा का रकबा 50 ऐयर कायम किया जाना चाहिए था। वादी/रेस्पो० का साबिक के मुकाबले 15 ऐयर रकबा कम किया गया है। वादी/रेस्पो० का कथन रहा कि सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से कम किये गये रकबे 15 ऐयर को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। इस पर अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट के साबिक ख0न0 716/3 का रकबा ख0न0 1821 मे दर्ज कर दिया है इसलिए इसमे अपीलांट का हिस्सा दर्ज कर दिया गया है तथा साबिक की भॉति ही पुरानी डोल मेड बनी हुई है। अपीलांट का कब्जा साबिक की भॉति चला आ रहा है। रेस्पो/वादी का ख0न0 1821 पर कब्जा नही है। ख0न0 1821 मे दर्ज अपीलांट/प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्से मे रेस्पो0/वादी का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नही है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 716/3 है जिसका रकबा 4 बीघा का था जबकि अपीलांट के नाम वर्तमान सेटलमेंट मे अपीलांट के नाम ख0न0 1814 रकबा 0.51 है0 एवं ख0न0 1821 रकबा 0.35 है0 मे से हिस्सा 1/3 दर्ज होकर आया है। साबिक की तुलना मे अपीलांट का 38 ऐयर रकबा कम दर्ज होकर आया है। इससे यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 के साबिक रकबे को आपस मे एक दुसरे के रकबे मे शामिल कर दिया है। इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा दौराने सेटलमेट की गई कार्यवाही गलत रूप से की गई है। अतःअपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण रामदयाल बनाम सरकार के साथ उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के मु0नं0 164/06/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.2.20 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण रामदयाल बनाम सरकार के साथ पत्रावली नियत की जाकर आराजी साबिक ख0न0 716/5 व 716/3 के संबंध मे विवादित आराजीयात की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार कराई जाकर आराजीयात की पैमाईश करवाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 की आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया जाकर विवादित आराज़ीयात के बाबत पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested